



CBSE Affiliation No. 1600034
CBSE School Code: 24553
Ph: 0164-2291142

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक ५, बठिंडा छावनी
Kendriya Vidyalaya No.5, Bathinda Cantt.
<https://no5bhatinda.kvs.ac.in>
E-mail: kv5bti@gmail.com

F.18 /K.V.5/Bti-Canttt/2023-24/

Dated: 20/07/2023

INTERNAL COMPLAINT COMMITTEE

In compliance to KVS (HQ). New Delhi Order No. 11-55/2000-KVS(Vig.) Pt 11212-25 dated 05.03.2019 and In continuation to this office order No.F.160114/KVS(CR)/Admn. /2022 Dated 06.04.2022 an **Internal Complaint Committee** comprising of the following officers, is hereby constituted for timely redressal of grievance under Article-4 of Sexual Harassment of women at workplace (prevention, prohibition & redressal) Act-2013 for employees of KV No.5 Bathinda Cantt, which will work with immediate effect till further orders: -

क्र. सं	अधिकारी का नाम और पता	समिति में धारित पद	Jurisdiction
1	श्रीमती स्वाती अग्रवाल, सहायक आयुक्त Mrs. Swaty Aggarwal, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Dehradun	पीठासीन अधिकारी Presiding Officer	To Inquire into the complaint of sexual harassment at work place against the officials up to level of PGT at KV No.5 Bathinda cantt.
2	श्रीमती सुरिंदर मोंगा, गैर सरकारी संगठन सदस्य Mrs.Surinder Monga, NGO Chairman	एन.जी.ओ सदस्य NGO Member Mob:-9471230727 E-mail id:- surinderkaurmonga@gmail.com	
3	श्री परमजीत सिंह, पी.जी.टी (CS) Mr. Paramjeet Singh, PGT (CS)	सदस्य / Member Mob:-9463403743 E-mail id:- param.jeet22in@gmail.com	
4	श्रीमती विपासना, टी.जी.टी (पुस्तकालय) Mrs. Vipasana, TGT(Library)	सदस्य / Member Mob:-9815782240 E-mail id:- vnagpal2013l@gmail.com	

परीसाइडिंग आफिसर के कार्य निम्नवत होंगे :-

- वे एनजीओ सदस्य एवं समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर जांच की तिथि एवं समय निर्धारित करेंगे।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 तथा कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न संबंधी केस मेधा कोतवाल लेले एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुरूप जांच करेंगे।
- कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच सखती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए

(सुनील कुमार कड़वल)

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय न.5
बठिंडा छावनी (पंजाब)